"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2025 — श्रावण 6, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जुलाई 2025

अधिसूचना

ESTB/4485/2025-HOME SECTION.— राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 46, 2023) की धारा 265 की उप–धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर, जिला नारायणपुर एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट, तथा अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को, निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात्:–

कमांक	स्थान	स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग रूप
1	ओरछा	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
2	छोटेडोंगर	तहसील कार्यालय
3	कोहकामेटा	तहसील कार्यालय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.